"आधूनिक यूग में महिला सषक्तिकरण के चुनौतिंयाँ एवं व्यवहार"

डॉ. मनोहर भी. येरकलवार
सहायक प्राध्यापक
समाजशास्त्र विभाग
डॉ. मधुकरराव वासनिक पी. डब्ल्यू. एस.
कला व वाणिज्य महाविद्यालय, नागपूर

समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान स्थान और दर्जा मिलता है, वहां विकास, संपन्नता, संस्कार और सकारात्मकता का वातावरण रहा करता है। जब भारत को 'सोने की चिड़िया' और 'विश्व का धर्म गुरु' कहा करते थे, उस समय महिला और पुरुष हर एक काम में कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दिया करते थे। जब काल में परिवर्तन हुआ और पुरुष प्रधान संस्कृती के माध्यम से महिलाओं पर दिन–ब–दिन समस्याएं बढ़ती गई। हमारे देश में राजनीतिक गुलामी और आर्थिक पिछड़ेपन के दौर में समाज में महिलाओं को उत्पीड़न, उपेक्षा, रूढ़िवादिता, शिक्षा, कमजोर स्वास्थ्य, पोष्टिक आहारों की अनुपलब्धता और पुरुषों के अहंकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। जब हम वर्ष 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखते हैं, और विकास की दौड़ में सबसे आगे बढ़ने का हौसला बना रहे हैं। तब पुरुष अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, इसके लिए महिलाओं का सहकार्य होना बहुत जरूरी है। इसलिए महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता बहुत जरूरी साबीत होती है।

प्राचीन काल से महिलाऐं अपने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों से पूर्णतः वंचित थी। उनकी स्थिति पितृसत्तात्मक समाज में पुरूष की सेविका के रूप में थी। वे तत्कालीन समाज में शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, सम्पत्ति स्वामित्व एवं मत संबंधी अधिकारों से वंचित थी। एवं उन्हें प्रशासन एवं राजनीति में सहभागिता से भी बाहर रखा गया था। उस समय वे बालविवाह, दहेजप्रथा, वैश्यावृत्ति एवं बालिकावध जैसी कुरीतियों से ग्रसित थी। वे घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, अपहरण एवं बलात्कार जैसे अपराधों की शिकार हुआ करती थी। महिला की इस दयनीय एवं करूणामय स्थिति ने समाज में समानता के पक्षधर नारीवादी समाज सेवियों को महिला सशक्तिकरण की प्रेरणा दी और इन सामाजिक संगठनों की सहायता प्राप्त कर सदियों से शोषित एवं उपेक्षित महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई। परिणामस्वरूप 21वी सदी के प्रारम्भ के साथ ही सम्पूर्ण विश्व में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला संबंधी विधियों का निर्माण हुआ और धीरे–धीरे, शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, प्रशासन, निर्णयप्रक्रिया और राजनीति में महिला सहभागिता का प्रारम्भ हुआ। उनके विरूद्ध जारी किए गये हिंसा, शोषण एवं अत्याचार को रोकने के प्रयास प्रारम्भ हुए किन्तु दुर्भाग्यवश महिला सशक्तिकरण का यह कार्यक्रम 21वी सदी में प्रवेश करने के बावजूद भी अपने वांछित उद्धेष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं रहा है।

आज महिलाएं राजनीति, कूटनीति, व्यापार, उद्योग, कला, प्रशासन और शिक्षा आदि प्रकार के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। लेकिन ऐसी महिलाओं का प्रतिशत भाग बहुत ही कम दिखाई देती है। अधिकांश महिलाएं तो हर तरफ भेदभाव और लैंगिकता की शिकार होती जा रही है। तब प्रश्न निर्माण होता है कि, इस विरोधाभास स्थिती का कारण क्या है? इन महिलाओं के परिस्थितियों में परिवर्तन लाने के लिए क्या किया जा सकता है? महिला सशक्तिकरण के मार्ग में कौन सी बाधाएं निर्माण होती आई है? इन सारी बातों का अनुसंधानात्मक खोज करने के लिए महिला सशक्तिकरण में आनेवाली चुनौतियां को जानने का प्रयास किया हूँ।

"महिलाएं शारीरिक रूप से पुरुषों से कमजोर होते हैं। जैसे की मासिक धर्म और गर्भधारण करने ऐसी परेशानियां उठानी पड़ती है। महिलाओं के कुछ अंग भी इतने कोमल होते हैं कि, एक औरत पुरुष से भी वह मुकाबला करने की स्थिति में नहीं होती है।"[1] इसीलिए उसे अंधकार, एकांत और भीड़ भाड़ वाले वातावरण से बचना पड़ता है। इसी कारण से उसे बचपन में पित्ता से, जवानी में पति से, और बुढ़ापे में अपने पुत्र का संरक्षण प्राप्त करना पड़ता है। इन सब से मुक्ति पाने के लिए तथा नारी को 'अबला से सबला' और भावूक से दृढ, निर्भर से स्वतंत्र, तथा मोहक से महत्तापूर्ण बनाने के लिए उसके शरीर को पुष्ट और परंपरागत मानसिकता को बदलना होगा। तब जाके महिला सशक्त हो सकती है।

भारतीय महाकाव्य और धर्म ग्रंथों में महिलाओं की समानता पर जोर नहीं दिया गया है। बल्कि नारी को दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी और माता के रूप में देखा गया है और शक्ति, विद्या और धन के क्षेत्रों में अग्रणीय व अनुकरणीय भी माना गया है। इसी कारण से समाज में नारी नर की पूरक बनी है और एक तरफ नर नारी को जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए मानते है। नारी को घर का श्रंगार मानते हैं। हर पुरुष के सफलता के पीछे किसी नारी का हाथ होता है। जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। ऐसे बहुत सारे कहावतों का चलन हुआ करता है। लेकिन धीरे–धीरे इस परिस्थिति में परिवर्तन होता गया है, और आज महिलाओं को 'ढोर, गंवार, शूद्र, पशु नारी यह सब ताड़न के अधिकारी' इस तरह से आज भी कई जगहों पर महिलाओं की यह स्थिति हमें दिखाई देती है।

भारतीय संविधान निर्माता डॉ. बाबासाहब अंबेडकर इस तथ्य से भलीभांति परिचित थे कि, बिना महिला सशक्तिकरण के राष्ट्र का विकास सम्भव नहीं है। इसलिए जब भारत में संविधान का निर्माण हो रहा था, तब संविधान निर्माता उन समस्याओं के प्रति संवेदनशील थे। इसी कारण भारतीय संविधान में कुछ विशेष उपबंधों का समावेश विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से किया गया है, जो विशेषतः महिलाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह स्पष्ट कर दिया है कि, देश की नजरों में स्त्री व पुरूष समान है और राष्ट्र के निर्माण में इनकी समान सहभागिता है। लिंग समानता की यही भावना संविधान में मूल अधिकारों, मूल कर्तव्यों, नीति निर्देषक तत्वों के रूप में स्पष्ट दिखाई देती है। इतना ही नहीं भारतीय संविधान राज्यों को यह निर्देषित करता है कि वह इस प्रकार की नीतियों का निर्माण करे जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर महिलाओं की भूमिका पुरूषों के समान तय हो सके। राज्य ऐसे नीतिगत ढांचे का और विधियों का निर्माण करे जो महिला उत्थान में सहायक हों ताकि महिलाऐं भी पुरूषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। राज्यों को यह निर्देशित किया गया है कि, वह महिला अधिकारों की रक्षा करें।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्राचीन काल में महिलाओं को महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त थे। हमारे देश मे गार्गी, मैत्रेयी तथा अनुसया आदि ऐसी अनेकों नारियाँ हुई है, जिनकों समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। परन्तु मध्यकाल में नारी की प्रस्थिति अत्यन्त सोचनीय हो गयी। वह घर की चार दीवारों में कैद थी। परिवार का सम्पूर्ण ढाँचा आदमी के बर्चस्व और नारी की निर्धनता पर आधारित था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिये गये। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, महिला दशक के बाद वर्ष 2001 को महिला सशक्तीकरण वर्ष के रूप में मनाया गया, जो कि इस बात का द्योतक है कि, आजादी के 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी संविधान द्वारा दिये गये 'समानता के अधिकार से महिलाएँ वंचित हैं। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के बावजूद महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के अनेक रूप हमें दिखाई देते है, जैसे कन्या भ्रूण हत्या, शिशु कन्या हत्या, परिवार में लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य की उपेक्षा, अल्पायु में विवाह, बलात्कार, दहेज, तलाक आदि।

इस तरह से महिलाओं को हर जगहों पर लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसमें मुख्य रूप से स्त्री भ्रुण हत्या, शिशु हत्या, घरेलू हिंसा, दहेज, तलाक, यौन प्रताड़ना, वैधव्य आदि प्रकार

की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार के कई कारणों से महिलाएं जन्म से लेकर मृत्यु तक लैंगिक भेदभाव का शिकार होती है। महिला पारिवारिक जीवन की धुरी है, जिसके बिना पारिवारिक जीवन सफल नहीं हो पाती। इसीलिए जब तक हमारे देश की हर नारी सशक्त नहीं होगी, तब तक हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, सशक्त नहीं होगा।

"भारतीय दंड संहिता अपने सामान्य अर्थ में महिला एवं पुरुषों के बीच किसी प्रकार का विभेद नहीं करती, लेकिन महिलाओं की शारीरिक बनावट एवं सामाजिक स्तर पर उसके विरुद्ध में होनेवाले अत्याचारों, भेदभाव एवं कुरीतियों को मद्देनजर रखते हुए उसके सशक्तिकरण और सुरक्षा की दृष्टि से कुछ उपबंध करती है। ताकि भारतीय महिलाएं अपने निजी एवं सार्वजनिक जीवन में किसी भी प्रकार के शोषण का शिकार ना हो।"[2] सामान्यतः यह माना जाता है कि, पति का घर ही पत्नी के लिए सुरक्षा एवं प्रसन्नता की दृष्टि से स्वर्ग है। किंतु अनेकों स्त्रियों के प्रति उनके घर में उसके लिए पति एवं रिश्तेदारों द्वारा निर्धनता एवं हिंसा का व्यवहार किया जाता है। "उन्हें लातो, घुसो, चाटो एवं डंडों से मारा जाता है। हड्डियां तक तोड़ दी जाती है।"[3] ऐसी स्थिति अनेको परिवारों में दिखाई देती है। दहेज के कारण ससुराल में उन्हें हर चीज से नाकरा जाता है। इसी स्थिति को सुधारने के लिए महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाना होगा, तभ जाकर ऐसी समस्याएं मिटने की संभव संभावना हो सकती है।

समाज में महिलाओं का योगदान माता, बहन, पत्नी, पुत्री के रूप में अविस्मरणीय रहा है। किंतु दुर्भाग्यवश वैश्वीकरण के इस युग में यही महिलाएं अपने सशक्तिकरण के लिए आज भी संघर्षरत जीवन जीते हुए दिखाई देते हैं। वर्तमान समय में भारतीय महिलाओं की स्थिति अन्याय, अत्याचार, सम्मान, उत्पीड़न, लैंगिक शोषण एवं भेदभाव से ग्रसित हुई दिखाई देती है। इस कारण आज भी महिला सशक्तिकरण पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बनी हुई है। क्योंकि महिलाओं का सशक्तिकरण यह विषय केवल एक राष्ट्र, धर्म या समुदाय का विषय नहीं है। अपितु यह एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार के सामने चुनौती है। भारत के संविधान में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार दिया हुआ है। इसके द्वारा लैंगिक भेदभाव नहीं माना गया है। पिछले वर्षों में कई ऐसे कानून पारित हुए हैं कि, जो महिलाओं को अनेक कुरीतियों और कुप्रथाओं से मुक्त करने के लिए है। इसके द्वारा अब तक महिलाओं की स्थिति में धीरे–धीरे बदलाव आने लगा है। इस बदलाव के लिए संचार साधनों और साक्षरता के प्रतिशत में हो रही वृद्धि, भौतिकवादी संस्कृति, संयुक्त परिवार में होनेवाली बिखराव, कार्यशील महिलाओं की बढ़ती संख्या, महिला मतों को आकर्षित करने की राजनीतिक दलों की मजबूरी इन सभी कारणों से आज ऊपरी तौर पर समाज में महिलाओं का स्थान बनता हुआ नजर आने लगा है। आज पर्दाप्रथा, विधवा उत्पीड़न, स्त्री साक्षरता को मान्यता, समाज और परिवार में उपेक्षा, बालिका विवाह, बेमेल विवाह, विधवा विवाह, निषेध जैसी समस्याएं इतनी भयानक नहीं रही है। यह परिवर्तन संचार साधनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंच चुकी है।

"अधिक आधुनिक, प्रगतिवादी व स्वतंत्र कही जाने वाली महिलाएं आज के दिनों में उच्च शिक्षा लेने के बाद संस्कृती को भुलते हुए नजर आ रहे है। वे सिगारेट, शराब पीने, नाइट क्लब में जाने, अविवाहित रहने, जरा सी बात पर विवाह विच्छेद कर लेने, बच्चों से परहेज करने, शारीरिक श्रम से दूर रहने, स्वजनों से रिश्ते काट लेने, विवाहेत्तर यौन संबंधों की ओर प्रवृत्त होने, शरीर का खुला प्रदर्शन करने की मानसिकता से ग्रसित होती जा रही है।"[4] भारतीय समाज में जैविकीय लैंगिक आधार पर महिला और पुरुषों को अलग किया गया है। जीवन में सामाजिक तौर तरीके और कार्य व्यापार के अलग–अलग मापदंड तैयार किए गए हैं। लेकिन सामाजिक परंपरा का निर्माण तो पुरुष वर्ग से ही किया गया है। पुरुषों को जो उचित लगा, उनके लिए जो सुविधाजनक लगा, उसके हिसाब से समाज में नियम निर्धारित किए गए। यही तत्व महिला सशक्तिकरण में बहुत बड़ी बाधा निर्माण करती है।

वर्तमान समय में महिलाओं के साथ होने वाले बलात्कार, छेड़छाड़, उत्पीड़न, प्राणघातक हल्लो, एसिड फेंकना और हत्याओं के मामलें पूरे देश में फैला हुआ है। महानगरों के अलावा छोटे–छोटे शहरों कस्बों और गांव में भी इस तरह की घटनाएं दिन–ब–दिन घटती हुई नजर आ रही है। आज महिलाएं चाहे किसी भी उम्र की हो वह सुरक्षित नहीं है। इनकी स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए कानून करके कोई फायदा नहीं है। कानून को पालनेवाले ही आज के दिनों में कानून तोड रहे है।

भारतीय समाज में महिलाओं का स्थान बहुत ही निचला हुआ दिखाई देता है। संविधान के माध्यम से और कानून के माध्यम से महिलाओं के स्थिति में बदलाव लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। फिर भी लोगों के दिमाग में या मानसिकता में परिवर्तन नहीं आ रहा है। आज भी लोगों के दिलों में महिलाओं के लिए एक अलग सा विचार है। घर में महिलाओं को मान सम्मान दिया जाता है, मगर बाहर निकलने के बाद वही लोग महिलाओं के बारे में गलत सोचने लगते हैं। हमारे घर की महिलाएं हमारे लिए माँ, बहन, बीवी, बेटी के समान होते हैं और बाहर के महिलाएं हमारे लिए कोई और दिखता है। इसीलिए महिलाओं की स्थिति में बदलाव लाने के लिए लोगों के सोच और दिमाग में और मानसिकता में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। जब तक लोगों की मानसिकता में महिलाओं के लिए मान, सम्मान और आदर की भावना निर्माण नहीं होगी, तब तक महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन होना बहुत कठिन कार्य लगता है।

निष्कर्ष :–

आज के यूग में नारी मात्र भोग्या, वासना एवं मनोरंजन की विषय वस्तु नहीं है। बल्कि वह प्रेम, करूणा, दया, ममता, समर्पण, सहकारी, सहिष्णुता, एवं वात्सल्य की प्रतिमूर्ति भी है। महिलायें आज भी प्रजनन, स्वास्थ्य, विवाह, शिक्षा, संपत्ति, ग्रहस्वामित्व, रोजगार, उच्च पदों पर नियुक्ति, समानवेतन, राजनैतिक सहभागिता के क्षेत्र में लिंग भेद एवं असमानता का शिकार हो रहे है। उनके विरूद्ध कार्यस्थल पर यौन शोषण, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताडना, स्त्री भ्रूण हत्या, बाल विवाह, अपहरण, नारी व्यापारण, देह व्यापार जैसे अपराधों में निरंतर वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। इन परिस्थितियों एवं वातावरण में यह नही कहा जा सकता कि महिला सशक्तिकरण हेतु बनायी गई विधियॉ अपने उद्देष्यों को प्राप्त करने में सफल रही है।

संदर्भ सुची :–

1. खंडेला मानचंद्र, 'महिला सशक्तिकरण सिद्धांत एवं व्यवहार', अविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, 2008 पृष्ठ क्र.2
2. चतुर्वेदी मुरलीधर, 'भारतीय दंड संहिता', ईस्टर्न बुक कंपनी, लखनऊ, 2007,पृ. क्र. 11
3. पाटिल अशोक, 'भारतीय समाज', हिंदी ग्रंथ अकादमी, 2002 पृष्ठ क्र. 40
4. खंडेला मानचंद्र, 'महिला सशक्तिकरण सिद्धांत एवं व्यवहार', अविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, 2008 पृष्ठ क्र.5